

[2023] 6 एस. सी. आर 655

ए.

चञ्चलपति दास बनाम.

पश्चिम बंगाल राज्य और ए. एन. आर. (2023 की आपराधिक अपील संख्या 1592) 18 मई, 2023  
बी.

**[अजय रस्तोगी और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एफ़. आई. आर. और आरोप पत्र-एफ़. आई. आर. अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ यू/एस. एस. दर्ज किया गया था। 468, 471, 406 और आई. पी. सी. की 120-बी-अपीलार्थी-अभियुक्त खुद को आध्यात्मिक नेता होने का दावा करते हैं और एक धार्मिक/आध्यात्मिक समाज से संबंधित हैं-यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने चोरी के साथ-साथ एक बस के संबंध में विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया था-अपीलार्थी-अभियुक्त ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की-उच्च न्यायालय ने आपराधिक संशोधनों को खारिज कर दिया-अपील पर कहा: शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार, बस चोरी की कथित घटना वर्ष 2001 में हुई थी, और यह केवल 2009 में ही सी. जे. एम. की न्यायालय में पर्याप्त शिकायत की गई थी-बस की कथित चोरी के संबंध में आठ साल की लंबी अवधि तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी, जब तक कि वर्ष 2009 में शिकायत दर्ज नहीं की गई थी-शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सामग्री या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था-जांच के बाद भी, जांच अधिकारी द्वारा कथित अपराधों के तत्वों को प्रथम दृष्टया संतुष्ट करने के लिए कोई सबूत एकत्र नहीं किया गया था-शिकायत में आरोप लगाए गए थे और उनके अंकित मूल्य पर आरोप पत्र लिया गया था-अपराधों के किसी भी तत्व को साबित करने के लिए कथित रूप से जाली दस्तावेजों पर कोई विशेषज्ञ राय प्राप्त नहीं की गई थी या वैज्ञानिक सबूत एकत्र नहीं किए गए थे।

सी.

डी.

ई.

एफ़.

जी.

न्याय प्रशासन-किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग-पर चर्चा की गई।

एच.

656 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 6 एस. सी. आर.

ए.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** यह फिर से ध्यान देने योग्य है कि शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार, बस चोरी की कथित घटना वर्ष **2001** में हुई थी, और केवल **2009** में ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पर्याप्त शिकायत की गई थी। यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि संबंधित पुलिस स्टेशन, कोलकाता ने कोलकाता में धार्मिक/आध्यात्मिक समाज जैसे शक्तिशाली निकाय की ओर से **2002** में दी गई रिपोर्ट पर या सोसायटी, कोलकाता के शाखा प्रबंधक द्वारा दिनांकित **30.09.2006** पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की होगी। प्रत्यर्थी नं। **2-** शिकायतकर्ता ने आठ साल की लंबी अवधि तक बस की कथित चोरी के संबंध में उक्त शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जब तक कि वर्ष **2009** में न्यायालय में शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। न्यायालय की राय में न्यायालय में शिकायत दर्ज करने में आठ साल की इतनी अत्यधिक देरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार होगी। अगर **1998** में धार्मिक समाज, कोलकाता शाखा के स्वामित्व वाली लकजरी बस उनके लिए इतनी कीमती होती, तो वे आठ साल के इतने लंबे समय तक चुप नहीं बैठते। इस न्यायालय की राय में, आठ साल पहले हुई कथित घटना के लिए शिकायत दर्ज करके आपराधिक तंत्र ने गति पकड़ी, वह अधिनियम अपने आप में न्यायालय की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग और दुरुपयोग था। [पैरा **11**] [**663-डी-जी**]

बी.

सी.

डी.

ई.

**2.** इसके अलावा, न्यायालय के समक्ष दायर शिकायत, जिसके आधार पर **20** फरवरी, **2009** को पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, के नंगे अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बस की चोरी के संबंध में शिकायत में लगाए गए गंजे आरोपों को छोड़कर शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कोई सामग्री या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। उक्त शिकायत की जांच के बाद भी, जांच अधिकारी द्वारा आई. पी. सी. की धारा **468, 471, 406** और **120** बी के तहत कथित अपराधों को गठित करने वाले तत्वों को प्रथम दृष्टया संतुष्ट करने के लिए कोई सबूत एकत्र नहीं किया गया था। भले ही शिकायत के साथ-साथ आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है, लेकिन कथित अपराधों का गठन करने वाले किसी भी तत्व को समाप्त नहीं किया

जाता है। अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील ने स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों पर भरोसा करने का पुरजोर आग्रह किया था और ए

एफ.

जी.

एच.

657

चञ्चलपति दास बनाम पश्चिम बंगाल और ए. एन. आर. राज्य।

उक्त बस का पंजीकरण, कि उक्त दस्तावेजों को कोलकाता में धार्मिक समाज के तत्कालीन अधिकृत व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किया गया था, इस न्यायालय की राय में, उक्त दस्तावेजों पर इन कार्यवाही में विचार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे आरोप पत्र का हिस्सा नहीं थे। किसी भी मामले में, तत्काल अपीलों के अभिलेख पर अन्य दस्तावेजों से यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि जांच अधिकारी ने अपीलार्थियों के खिलाफ कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उनके खिलाफ कोई ठोस या ठोस सबूत एकत्र करने की जहमत भी उठाई थी। कथित रूप से जाली दस्तावेजों पर कोई विशेषज्ञ राय प्राप्त या वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया था ताकि यह दिखाया जा सके कि किसके द्वारा, कब और कैसे वाहन की चोरी और दस्तावेजों की जालसाजी की गई थी। इन परिस्थितियों में, इस तरह के अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देना न केवल एक खाली औपचारिकता होगी, बल्कि अदालत के कीमती समय की भारी बर्बादी होगी। [पैरा **12**] [**663-G-H; 664-A-E**]

बी.

सी.

**3.** पूर्व-वर्णित कानूनी स्थिति के आलोक में, यदि मामले के तथ्यों की सराहना की जाती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा आठ साल की अत्यधिक अस्पष्टीकृत देरी के बाद दायर की गई शिकायत अपीलार्थियों के साथ व्यक्तिगत मामलों को निपटाने के लिए कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग और दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं थी, और इस तरह के दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को जारी रखना भी कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और दुरुपयोग होगा, विशेष रूप से जब न तो शिकायत में और न ही आरोप पत्र में लगाए गए आरोप, अपीलार्थियों के खिलाफ किसी भी प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा करते हैं। अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोप इतने बेतुके और असंभव हैं कि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। [पैरा **17**] [**666-एफ-जी**]

डी.

ई.

एफ.

**4.** इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं के अन्य समूह में उच्च न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को आरोप तय करने और एस का सहारा लेते हुए मुकदमे को समाप्त करने का निर्देश दिया। **309 Cr.P.C.** जीवित नहीं रहते हैं और तदनुसार निपट जाते हैं। [पैरा **1** और **2**] **[668-डी]**

जी.

दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2010) 2 एससीसी 114:[2009] 16 एस. सी. आर. 111; सुब्रत रॉय

सहारा बनाम भारत संघ और अन्य **(2014) 8 एससीसी**

**470 :[2014] 12 एस. सी. आर. 573-निर्भर।**

एच.

658 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 6 एस. सी. आर.

ए.

केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम मनिंदर सिंह

(2016) 1 एससीसी 389:[2015] 10 एस. सी. आर. 277; राज्य

एल. आर. एस. द्वारा गुजरात बनाम गजानंद एम. दलवाड़ी (मृत)

(2008) 1 एससीसी 716:[2007] 13 एस. सी. आर. 913; जसबीर सिंह बनाम तारा सिंह और अन्य। (2016) 16 एससीसी 441:[2015]

**10 एस. सी. आर. 61;** जगदीश राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्न।

बी.

(2004) 4 एससीसी 432:[2004] 2 एससीआर 846; कप्तान सिंह

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। **(2021) 9 एस. सी. सी. 35;** केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम अरविंद खन्ना

(2019) 10 एससीसी 686:[2019] 13 एस. सी. आर 470; राज्य

कर्नाटक बनाम एल. मुनिस्वामी और अन्य। **(1977) 2 एससीसी 699:[1977] 3 एस. सी. आर. 113;** ए. पी. राज्य बनाम गोलकोंडा

सी.

लिंगा स्वामी और एक अन्य (2004) 6 एस. सी. सी. 522:[2004] 3

सप.एससीआर **147**; हसमुखलाल डी. वोरा और अन्न बनामराज्य

तमिलनाडु 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1732-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

डी.

**[2015] 10 एससीआर 277**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

**[2007] 13 एससीआर 913**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

**[2015] 10 एससीआर 61**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

ई.

**[2004] 2 एससीआर 846**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

**[2019] 13 एससीआर 470**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

**[1977] 3 एससीआर 113**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

**[2004] 3 सप.पैरा 15 [2009] 16 एस. सी. आर. 111** में निर्दिष्ट एस. सी. आर. **147** पर भरोसा किया गया

एफ.

पैरा **18**

**[2014] 12 एससीआर 573**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **19**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील No.1592।

जी.

2022 के सी. आर. आर. No.4062 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.02.2023 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की आपराधिक अपील No.1593 और एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) Nos.4539 और 2023 का 4603।

एच.

659

चञ्चलपति दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ए. एन. आर.

ए.

श्याम दीवान, जयदीप गुप्ता, कृष्णन वेणुगोपाल, सौम्या चक्रवर्ती, वरिष्ठ अधिवक्तागण , कार्तिक सेठ, श्रीमती श्रिया गिलहोत्रा, तरुण मेहरा, मेसर्स चैंबर्स ऑफ कार्तिक सेठ के लिए सुश्री आकृति विकास, प्रशांत भूषण, कुरियाकोस वर्गीज, वी. श्यामोहन, सुश्री ऐश्वर्या हरिहरन, मार्टिन जॉर्ज, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, संजीव कौशिक, सुश्री मंटिका हरियाणानी, श्रेयस अवस्थी, सोमीपम मैक, सुश्री मुस्कान सुराना, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री श्राद्ध मुद्रा, मेसर्स केएमएनपी लॉ के लिए मार्टिन जी. जॉर्ज, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

बी.

न्यायालय के दो निर्णय दिए गए थे

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

सी.

छुट्टी दे दी गई।

2. दोनों अपीलें 2013 के सी. आर. आर. संख्या 1490 और सी. आर. आर. में कोलकाता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और दिनांक 22.03.2017 आदेश से उत्पन्न होती हैं। 2013 का सं. 3307 जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ दायर आरोप पत्र को रद्द करने की मांग करने वाले दोनों आपराधिक संशोधन आवेदनों को खारिज कर दिया है। आई. पी. सी. की धारा 468, 471, 406 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए 2009 का 33 बालीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपीलार्थी मधु पंडित दास (आरोपी संख्या 1) 1984 से इस्कॉन, बेंगलुरु के अध्यक्ष हैं और अपीलार्थी चंचालपति दास (आरोपी संख्या 1) 1984 से इस्कॉन, बेंगलुरु के अध्यक्ष हैं। (2) वह 1985 से इस्कॉन, बेंगलुरु के उपाध्यक्ष हैं। वे दोनों वैश्विक आध्यात्मिक नेता और मानवतावादी होने का दावा करते हैं। अपीलार्थियों के अनुसार, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन), बेंगलुरु, कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत 1978 में पंजीकृत एक सोसायटी है।

डी.

ई.

3. 30.09.2006 पर प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार, शिकायत के रूप में एक पत्र कोलकाता के बालीगंज पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को महाप्रबंधक, इस्कॉन, कोलकाता द्वारा संबोधित किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन), मुंबई सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत 1971 से पंजीकृत एक सोसायटी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुंबई-49 में है। उक्त सोसायटी की पूरे भारत में कई शाखाएँ/कार्यालय हैं जिनमें से एक 3 सी, अल्बर्ट रोड, कोलकाता-700019 में स्थित है। उक्त सोसायटी की शासी परिषद जिसे "ब्यूरो" के रूप में जाना जाता है, सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है। उक्त ब्यूरो ने संबंधित समय में श्री अद्रिधरन दास को सौंपा था, जो उक्त कोलकाता शाखा के अध्यक्ष थे।

एफ.

जी.

एच.

660

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

ए.

कोलकाता शाखा में स्थित परिसंपत्तियों और संपत्तियों के प्रबंधन के साथ, जिसमें अशोक लेलैंड की 42 सीटों वाली डीलक्स बस शामिल थी, मॉडल वाइकिंग आल्प्सवी 4/37-222 डब्ल्यूबी यात्री बस, पंजीकरण संख्या। डब्ल्यू. बी. 25 ए-0454, इंजन नं. डब्ल्यू. एस. एच. 104189, चेसिस नं. WSH042296। उक्त बस कोलकाता शाखा के परिसर में खड़ी की जाती थी।<sup>4</sup> यह भी आरोप लगाया गया कि जब नए प्रबंधन ने कोलकाता में उक्त शाखा का प्रबंधन संभाला, तो उक्त बस उक्त शाखा के परिसर में नहीं मिली। इसलिए, प्रबंधकों में से एक, श्री जगदर्थी दास ने 23 नवंबर, 2001 को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बारासात, कोलकाता को एक पत्र लिखा कि उक्त बस के संबंध में कोई भी डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, कर कार्ड आदि जारी न करें।<sup>30</sup> सितंबर, 2006 के उक्त पत्र में आगे कहा गया था कि 22.05.2002 पर पुलिस स्टेशन को एक रिपोर्ट भी दी गई थी, हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि उक्त बस हरे कृष्ण हिलिस, राजाजी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक में रहने वाले श्री मधु पंडित दास की अवैध हिरासत में थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि श्री अद्रिधरन दास ने श्री मधु पंडित दास और अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश रची थी और श्री अद्रिधरन दास ने उक्त वाहन के संबंध में चोरी के साथ-साथ आपराधिक विश्वासघात किया था, जिसे बेंगलुरु ले जाया गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त वाहन का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र कोलकाता शाखा में पड़ा हुआ था और न तो श्री अद्रिधरन दास और न ही श्री मधु पंडित दास या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त वाहन को बेंगलुरु स्थानांतरित करने या उक्त वाहन के पंजीकृत मालिक का नाम बदलने का कोई अधिकार था।

बी.

सी.

डी.

ई.

5. प्रतिवादी-शिकायतकर्ता का यह और मामला है कि चूंकि बालीगंज पुलिस स्टेशन ने उक्त दिनांकित पत्र पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए शिकायतकर्ता राधा रमन दास, इस्कॉन, कोलकाता के शाखा प्रबंधक ने वर्ष 2009 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीपुर की न्यायालय में आरोपी मधु पंडित दास, चंचलपति दास, महाजन दास और अद्रिधरन दास के खिलाफ <ID2 की धारा 156 (3) के तहत जांच की मांग करते हुए एक निजी शिकायत दर्ज की थी। उक्त मामला आपराधिक मामला संख्या के रूप में दर्ज किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीपुर की न्यायालय में 2009 का 747।

एफ.

जी.

6. ऐसा प्रतीत होता है कि Cr.P.C की धारा 156 (3) के तहत उक्त न्यायालय याचिका दर्ज की गई थी क्योंकि एफ. आई. आर. नं. है। 33 आई. पी. सी. की धारा 379/411/406/408/120-

बी/468/471 के तहत अपराधों के लिए 20.02.2009 पर बालीगंज पुलिस स्टेशन में। जाँच अधिकारी ने जाँच पूरी होने पर आरोप पत्र नं. प्रस्तुत किया। 58 ए की न्यायालय में

एच.

661

चञ्चलपति दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

अलीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी मधु पंडित दास, चंचलपति दास, महाजन दास और अद्रिधरन दास के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 468, 471, 406 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए। 7. अपीलार्थी-अभियुक्त चञ्चलपति दास ने 2013 का सी. आर. आर. सं. 1490 के रूप में एक याचिका दायर की और अपीलार्थी-अभियुक्त मधु पंडित दास ने कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष सी. आर. आर. सं. 3307/2013 के रूप में एक याचिका दायर की जिसमें आपराधिक मामला सं. 2009 का 747 सी. जे. एम., अलीपुर के समक्ष लंबित है। उच्च न्यायालय ने आम विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से दोनों आपराधिक संशोधनों को खारिज कर दिया। 8. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत विद्वान कि प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ शुरू विद्वान गया अभियोजन केवल अपीलार्थियों के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को निपटाने के लिए बस चोरी मामले की आड़ में अपीलार्थियों को परेशान करने का एक प्रयास था, क्योंकि अपीलार्थी इस्कॉन बंगलुरु के तत्वावधान में लगभग 30 इस्कॉन/हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े केंद्र बनाने में सक्षम थे, जो श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करते हैं और उन्हें एकमात्र दीक्षा आचार्य के रूप में रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत/एफ. आई. आर. में आरोप न केवल बेतुके और असंभव हैं, बल्कि मुकदमे के बाद अपीलार्थियों को कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने की कोई उचित संभावना नहीं है। विचाराधीन बस के पंजीकरण के हस्तांतरण के संबंध में दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त बस कोलकाता में 20.11.1998 पर पंजीकृत थी, हालांकि उसके बाद हस्तांतरण के आवश्यक दस्तावेजों के निष्पादन के बाद 22.05.2002 पर बंगलुरु में पंजीकृत थी और वर्तमान में बस उत्तर प्रदेश के वृंदावन में डंप यार्ड में पड़ी है। उनके अनुसार, 2002 में हुई बस की कथित चोरी के लिए 2009 में प्राथमिकी दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग था। यहां तक कि जांच अधिकारी भी कथित जालसाजी और दस्तावेजों के निर्माण के संबंध में आरोप पत्र के साथ कोई दस्तावेज या सबूत एकत्र करने और पेश करने में विफल रहे हैं। श्री दीवान ने राज्य में निर्णयों पर भरोसा रखा है

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

हरियाणा और ओआरएस। बनाम भजन लाल और अन्य। **1**, जी. सागर सूरी और अन्न में। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओआरएस। **2**, माधवराव जीवाजीराव सिंधिया और ओआरएस में। बनाम संभाजीराव चंदरोजीराव आंग्रे और अन्य। **3**, सुबल घोराई और ओआरएस में। बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य **4** उनकी दलीलों का समर्थन करने के लिए।

जी.

अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि मामले को शांत करने के लिए, इस्कॉन

1 1992 सप.(1) एससीसी 335 2 (2000) 2 एससीसी 636 3 (1988) 1 एससीसी 692 4 2013 (4) एससीसी 607

एच.

662

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

बेंगलुरु सीधे इस्कॉन कोलकाता के नाम से एक नवीनतम मॉडल ब्रांड नई अशोक लेलैंड बस खरीदने के लिए तैयार है।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी सं. की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वेणुगोपाल। 2- शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत विद्वान कि दोनों अपीलार्थियों पर प्रत्यर्थी सं. 1 जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के अनुसार आई. पी. सी. की धारा 468, 471, 406 और 120-बी के तहत अपराध के लिए राज्य और अपीलार्थियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला होने के कारण, जिसे उच्च न्यायालय ने भी विवादित आदेश में दर्ज विद्वान था, यह न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उनके अनुसार, संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, बेंगलुरु से आर. टी. आई. के तहत प्राप्त होने का दावा करने वाले अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण के दस्तावेजों को पहली बार इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और उन पर विचार नहीं किया जा सका है। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्निहित शिकायत अपीलार्थियों-अभियुक्त द्वारा निर्मित अचल संपत्ति सहित विशाल व्यावसायिक साम्राज्य की तुलना में केवल एक लकजरी बस से संबंधित है, जो जालसाजी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के अपराधों की गंभीरता को कम या कम नहीं कर सकती है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि इस्कॉन कोलकाता को एक नई बस देने के लिए अपीलार्थियों-अभियुक्तों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपीलार्थियों के खिलाफ कथित अपराध Cr.P.C की धारा 320 के तहत शमनीय नहीं हैं। श्री वेणुगोपाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के फैसलों पर भरोसा किया है।

बी.

सी.  
डी.  
ई.

बनाम मनिंदर सिंह **5**; एल. आर. एस. द्वारा गुजरात राज्य बनाम गजानंद एम. दलवाड़ी (मृत)। **6**. जसबीर सिंह बनाम तारा सिंह और अन्य। **7**; जगदीश राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्न। **8**. कप्तान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। **9**; केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम अरविंद

खन्ना ने अपनी दलीलों के समर्थन में कहा कि अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है।

एफ.

10. पक्षकारों के अभिवचनों और अभिलेख पर दस्तावेजों को देखने और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर उत्सुकता से विचार करने के बाद, यह सामने आता है कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी के अनुसार, शिकायत के रूप में एक पत्र इस्कॉन कोलकाता के शाखा प्रबंधक द्वारा 30.09.2006 पर लिखा गया था।

जी.

5 (2016) 1 एससीसी 389 6 (2008) 1 एससीसी 716 7 (2016) 16 एससीसी 441 8 (2004) 4 एससीसी 432 9 (2021) 9 एससीसी 35 10 (2019) 10 एससीसी 686 ए

एच.

663

चञ्चलपति दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

2001 में हुई एक बस की कथित चोरी के संबंध में कोलकाता के बालीगंज पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को संबोधित किया गया, हालांकि, उक्त पुलिस स्टेशन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने पहले 22 मई, 2002 को संबंधित पुलिस स्टेशन को मामले की सूचना दी थी, लेकिन उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह ध्यान देने योग्य है कि संबंधित पुलिस स्टेशन के खिलाफ उक्त आरोपों के संबंध में, यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि या तो उक्त रिपोर्ट दिनांकित 22.05.2002 या दिनांकित 30.09.2006 संबंधित पुलिस स्टेशन को कभी प्राप्त हुई थी या उस संबंध में प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी। प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के अनुसार, चूंकि संबंधित पुलिस स्टेशन को लिखे गए 30 सितंबर, 2006 के पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए शिकायत 10 फरवरी, 2009 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीपुर की न्यायालय में दर्ज की गई थी, जिसे 2009 के सी. आर. केस नंबर 747 के रूप में दर्ज किया गया था, जिसमें Cr.P.C की धारा 156 (3) के तहत जांच की मांग की गई थी।

बी.

सी.

11. यह फिर से ध्यान देने योग्य है कि शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार, बस चोरी की कथित घटना वर्ष 2001 में हुई थी, और यह केवल 2009 में ही थी जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीपुर की न्यायालय में पर्याप्त शिकायत की गई थी। यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि संबंधित बालीगंज पुलिस स्टेशन, कोलकाता ने इस्कॉन कोलकाता जैसे शक्तिशाली निकाय की ओर से 2002 में दी गई रिपोर्ट पर या इस्कॉन, कोलकाता के शाखा प्रबंधक द्वारा लिखे गए 30.09.2006 पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की होगी। प्रत्यर्थी नं। 2-शिकायतकर्ता ने वर्ष 2009 में न्यायालय में शिकायत दर्ज होने तक आठ साल की लंबी अवधि तक बस की कथित चोरी के संबंध में उक्त शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। न्यायालय की राय में न्यायालय में शिकायत दर्ज करने में आठ साल की इतनी अत्यधिक देरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार होगी। अगर 1998 में इस्कॉन, कोलकाता शाखा के स्वामित्व वाली लक्जरी बस उनके लिए इतनी कीमती होती, तो वे आठ साल के इतने लंबे समय तक चुप नहीं बैठते। हमारी राय में, आठ साल पहले हुई कथित घटना के लिए शिकायत दर्ज करके आपराधिक तंत्र ने गति पकड़ी, वह अधिनियम अपने आप में न्यायालय की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग और दुरुपयोग था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

12. इसके अलावा, न्यायालय के समक्ष दायर शिकायत, जिसके आधार पर 20 फरवरी, 2009 को बालीगंज पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, के नंगे अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बस की चोरी के संबंध में शिकायत में लगाए गए गंजे आरोपों को छोड़कर

एच.

664

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

अपीलार्थियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा कोई सामग्री या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। उक्त शिकायत की जांच के बाद भी, जांच अधिकारी द्वारा आई. पी. सी. की धारा 468, 471, 406 और 120 बी के तहत कथित अपराधों को गठित करने वाले तत्वों को प्रथम दृष्टया संतुष्ट करने के लिए कोई सबूत एकत्र नहीं किया गया था। भले ही शिकायत

के साथ-साथ आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है, लेकिन कथित अपराधों का गठन करने वाले किसी भी तत्व को समाप्त नहीं किया जाता है। अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने उक्त बस के स्वामित्व के हस्तांतरण और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए पुरजोर आग्रह विद्वान था कि उक्त दस्तावेजों को इस्काँन कोलकाता के तत्कालीन अधिकृत व्यक्तियों द्वारा निष्पादित विद्वान गया था, हमारी राय में, उक्त दस्तावेजों पर इन कार्यवाही में विचार नहीं विद्वान जा सकता था, क्योंकि वे आरोप पत्र का हिस्सा नहीं थे। किसी भी मामले में, तत्काल अपीलों के अभिलेख पर अन्य दस्तावेजों से यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि जांच अधिकारी ने अपीलार्थियों के खिलाफ कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उनके खिलाफ कोई ठोस या ठोस सबूत एकत्र करने की जहमत भी उठाई थी। कथित रूप से जाली दस्तावेजों पर कोई विशेषज्ञ राय प्राप्त या वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया था ताकि यह दिखाया जा सके कि किसके द्वारा, कब और कैसे वाहन की चोरी और दस्तावेजों की जालसाजी की गई थी। इन परिस्थितियों में, इस तरह के अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देना न केवल एक खाली औपचारिकता होगी, बल्कि अदालत के कीमती समय की भारी बर्बादी होगी।<sup>13</sup> यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालयों के पास किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए Cr.P.C की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति है। यद्यपि धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग संयम से और बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, यदि अभियुक्त द्वारा कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला बनाया जाता है तो उक्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी और अन्य। **11** ने माना था कि

उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है यदि न्यायालय की राय है कि कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि कार्यवाही को रद्द किया जाए।

जी.

14. यह न्यायालय, बहुत पहले 1992 में मामले में ऐतिहासिक निर्णय में

हरियाणा राज्य और अन्य। बनाम भजन लाल और अन्य (सुप्रा), इसके बाद

प्रासंगिक प्रावधानों पर अधिक विशेष रूप से Cr.P.C की धारा 482 और इस न्यायालय द्वारा संबंधित कानून के सिद्धांतों पर विचार करना

11 (1977) 2 एससीसी 699 ए

एच.

665

चञ्चलपति दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग, रद्द करने की शक्तियों के प्रयोग के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे, जिनका कई मामलों में पालन किया गया है। इसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों, जिन्हें हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को दृष्टान्त के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्देशित और कठोर दिशानिर्देश या कठोर सूत्रों को निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

ई.

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और एफ. आई. आर. के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराती है।

एफ.

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है। (5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई विवेकपूर्ण नहीं है।

जी.

एच.

666

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

व्यक्ति कभी भी एक उचित निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है।

बी.

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।”

सी.

**15. राज्य में of A.P. बनाम. गोलकोंडा लिंग स्वामी और अन्य 12**

इस न्यायालय ने कहा था कि यदि न्यायालय यह पाता है कि ऐसी कार्यवाहियों की शुरुआत या निरंतरता न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी तो कार्यवाहियों को रद्द करना उचित होगा।

डी.

16. शिकायत दर्ज करने में अत्यधिक देरी के संबंध में यह हाल ही में इस न्यायालय द्वारा हसमुखलाल डी. वोरा और अन्न बनाम अन्न मामले में देखा गया है। तमिलनाडु राज्य 13 ने कहा कि हालांकि अपने आप में अत्यधिक देरी आपराधिक शिकायत को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है, लेकिन अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी को आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक और आधार के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ई.

17. पूर्व-वर्णित कानूनी स्थिति के आलोक में, यदि मामले के तथ्यों की सराहना की जाती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा आठ साल की अत्यधिक अस्पष्टीकृत देरी के बाद दायर की गई शिकायत अपीलार्थियों के साथ व्यक्तिगत मामलों को निपटाने के लिए कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग और दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं थी, और इस तरह के दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को जारी रखना भी कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और दुरुपयोग होगा, विशेष रूप से जब न तो शिकायत में और न ही आरोप पत्र में लगाए गए आरोप, अपीलार्थियों के खिलाफ किसी भी प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा करते हैं। अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोप इतने बेतुके और असंभव हैं कि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अपीलार्थियों-अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

एफ.

जी.

12 2004 (6) एस. सी. सी. 522

13 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1732 ए

एच.

667

चञ्चलपति दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

18. अलग होने से पहले, न्यायालयों में झूठी और तुच्छ कार्यवाही दायर करके कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग और दुरुपयोग के संबंध में इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। न्यायालय में।

दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **14** में यह देखा गया

कि -

“1. कई शताब्दियों तक भारतीय समाज ने जीवन के दो बुनियादी मूल्यों अर्थात् "सत्य" (सत्य) और "अहिंसा" (अहिंसा) को पोषित किया। महावीर, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी ने लोगों को अपने दैनिक जीवन में इन मूल्यों को शामिल करने के लिए निर्देशित किया। सत्य न्याय-वितरण

प्रणाली का एक अभिन्न अंग था जो स्वतंत्रता से पहले प्रचलन में था और लोग अदालतों में सत्य बोलने पर गर्व महसूस करते थे, चाहे परिणाम कुछ भी हों। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद की अवधि में हमारी मूल्य प्रणाली में भारी बदलाव देखे गए हैं। भौतिकवाद ने पुराने लोकाचार को दबा दिया है और व्यक्तिगत लाभ की खोज इतनी तीव्र हो गई है कि मुकदमेबाजी में शामिल लोग न्यायालयी कार्यवाही में झूठ, गलत निरूपण और तथ्यों के दमन की शरण लेने में संकोच नहीं करते हैं।”

बी.

सी.

डी.

## **19. सुब्रत राय सहारा बनाम भारत संघ और अन्य 15 में**

निम्नलिखित रूप में देखा गया: “191. भारतीय न्यायिक प्रणाली तुच्छ मुकदमों से बुरी तरह पीड़ित है। वादियों को मूर्खतापूर्ण और अनुचित दावों के प्रति उनके बाध्यकारी जुनून से रोकने के लिए तरीके और साधन विकसित करने की आवश्यकता है।”

ई.

20. हम यह जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरह खराब सिक्के अच्छे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं, उसी तरह खराब मामले अच्छे मामलों की समय पर सुनवाई से बाहर कर देते हैं। अदालतों में तुच्छ मामलों के प्रसार के कारण, वास्तविक और वास्तविक मामलों को पीछे हटना पड़ता है और वर्षों से एक साथ सुनवाई नहीं की जा रही है। जो पक्ष तुच्छ, गैरजिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण मुकदमेबाजी शुरू करता है और जारी रखता है या जो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है, उसे अनुकरणीय कीमत चुकानी चाहिए, ताकि अन्य लोग इस तरह के पाठ्यक्रम का पालन करने से रोक सकें। इस मामले को और अधिक गंभीरता से देखा जाना चाहिए जब वे लोग जो खुद को वैश्विक आध्यात्मिक नेता होने का दावा करते हैं और खुद को वैश्विक आध्यात्मिक नेता के रूप में पेश करते हैं, खुद को इस तरह के तुच्छ मुकदमों में संलग्न करते हैं और न्यायालय की कार्यवाही का उपयोग अपने व्यक्तिगत स्कोर को निपटाने या अपने व्यक्तिगत अहंकार को पोषित करने के लिए एक मंच के रूप में करते हैं।

एफ.

जी.

14 (2010) 2 एससीसी 114 15 (2014) 8 एससीसी 470

एच.

668

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

21. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम बालीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज 2009 की प्राथमिकी संख्या 33 से उत्पन्न मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीपुर के न्यायालय में अपीलार्थियों के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना और उसे रद्द करना उचित समझते हैं। 22. रुपये की लागत के साथ अपीलों की अनुमति है। 1,00,000-जिसे प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा सुप्रीम न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन के कार्यालय में जमा किया जाएगा।

बी.

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. दोनों याचिकाएं 2022 के सी. आर. आर. 4062 में कोलकाता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.02.2023 के आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अलीपुर में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश के संचार की तारीख से एक महीने के भीतर आरोप पर विचार करने के लिए विशेष रूप से तारीख तय करने और Cr.P.C की धारा 309 में निहित प्रावधान का सहारा लेते हुए दस महीने के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का निर्देश दिया है।

सी.

डी.

2. 2023 की आपराधिक अपील संख्या 1592 (@एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए। नहीं। 2017 का 6688) और 2023 का आपराधिक अपील सं. 1593 (@SLP (CRL.) नहीं। 2017 का 6689), वर्तमान याचिकाएं जीवित नहीं रहती हैं और तदनुसार उनका निपटारा किया जाता है।

ई.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई और याचिकाओं का निपटारा किया गया।

एफ.

जी.

एच.